राजस्थान सरकार
परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग

प्रस्ताव संख्याः STA–..01../2022/12931 जयपुर, दिनांकः 13.06.2022

विषयः– स्टैज कैरिज यात्री वाहनों में व्यवसायिक भार (Merchandise Goods) के परिवहन हेतु शर्तों का निर्धारण।

राज्य में स्टैज कैरिज वाहनों में यात्रियों से अलग अथवा यात्रियों के स्थान पर व्यवसायिक भार (Merchandise Goods) के वहन करने हेतु राजस्थान मोटरयान नियम, 1991 के नियम 5.21 के उपनियम (6) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तथा पूर्व में जारी प्रस्ताव संख्या STA-04/2021 दिनांक 26.10.2021 को अतिक्रमित करते हुये कॉन्ट्रेक्ट कैरिज परमिट में निम्नानुसार शर्तों को अन्तःस्थापित किया जाता है :–

(1) स्टैज कैरिज यात्री वाहनों में व्यवसायिक भार (Merchandise Goods) के वहन करने की अनुमति राज्य सरकार द्वारा तय शुल्क की अदायगी पर जारी होने वाले लाईसेन्स को प्राप्त कर लेने पर प्रदान की जाऐगी।

(2) वाहन में लदे व्यवसायिक माल का वजन किसी भी स्थिति में वाहन के रजिस्टर्ड लदान भार के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हो। वाहन का वजन, उसमें लदे समस्त भार तथा यात्रियों एवं चालक–परिचालक सहित, वाहन के रजिस्टर्ड लदान भार से अधिक नहीं हो। वाहन में बैठक (सीट) के स्थान पर भरे जाने वाल माल हेतु किसी भी परिस्थिति में कुल बैठक क्षमता की 20 प्रतिशत से अधिक सीट माल भरने हेतु उपयोग में नहीं ली जायेगी तथा इसकी गणना राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 के नियम 5.21 के उपनियम (7) के अनुरूप होगी।

(3) वाहन में माल का लदान इस प्रकार किया जाये की यात्रियों को वाहन में चढ़ने एवं उतरने में व्यवधान उत्पन्न नहीं हो तथा माल को सुरक्षित रूप से बांधा गया हो जिससे की यात्रियों की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न नहीं हो। वहन किया जाने वाला व्यवसायिक भार ई–वे बिल के अधीन होगा। वाहन की छत पर माल का परिवहन राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 के नियम 5.21 के उपनियम (2) के अनुरूप होगा।

सदस्य
राज्य परिवहन प्राधिकार
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः— F9(253) PARI/STA/RTA/HQ/98-99/Part/01166/12932-940 जयपुर, दिनांकः— 13.06.2022

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित हैः—

10. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, राजस्थान जयपुर।
11. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य परिवहन मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, राजस्थान जयपुर।
12. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, (परिवहन) राजस्थान, जयपुर।
13. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव।
14. सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार।
15. समस्त अधिकारीगण (मुख्यालय)।
16. समस्त सचिव, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार ....।
17. सिस्टम एनालिस्ट को विभागीय वेबसाईट में अपडेट करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित है।
18. रक्षित पत्रावली।

सचिव

राज्य परिवहन प्राधिकार

राजस्थान सरकार
परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग

प्रस्ताव संख्याः STA–.....02....../2022/12941 जयपुर, दिनांकः 13.06.2022

विषयः– कॉन्ट्रेक्ट कैरिज यात्री वाहनों में व्यवसायिक भार (Merchandise Goods) के परिवहन हेतु शर्तों का निर्धारण।

राज्य में कॉन्ट्रेक्ट कैरिज वाहनों में यात्रियों से अलग अथवा यात्रियों के स्थान पर व्यवसायिक भार (Merchandise Goods) के वहन करने हेतु राजस्थान मोटरयान नियम, 1991 के नियम 5.22 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तथा पूर्व में जारी प्रस्ताव संख्या STA-03/2021 दिनांक 26.10.2021 को अतिक्रमित करते हुये कॉन्ट्रेक्ट कैरिज परमिट में निम्नानुसार शर्तों को अन्तःस्थापित किया जाता है :–

(1) कॉन्ट्रेक्ट कैरिज यात्री वाहनों में व्यवसायिक भार (Merchandise Goods) के वहन करने की अनुमति राज्य सरकार द्वारा तय शुल्क की अदायगी पर जारी होने वाले लाईसेन्स को प्राप्त कर लेने पर प्रदान की जाऐगी।

(2) वाहन में लदे व्यवसायिक माल का वजन किसी भी स्थिति में वाहन के रजिस्टर्ड लदान भार के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हो। वाहन का वजन, उसमें लदे समस्त भार तथा यात्रियों एवं चालक–परिचालक सहित, वाहन के रजिस्टर्ड लदान भार से अधिक नहीं हो। वाहन में बैठक (सीट) के स्थान पर भरे जाने वाल माल हेतु किसी भी परिस्थिति में कुल बैठक क्षमता की 20 प्रतिशत से अधिक सीट माल भरने हेतु उपयोग में नहीं ली जायेगी।

(3) वाहन में माल का लदान इस प्रकार किया जाये की यात्रियों को वाहन में चढ़ने एवं उतरने में व्यवधान उत्पन्न नहीं हो तथा माल को सुरक्षित रूप से बांधा गया हो जिससे की यात्रियों की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न नहीं हो। वहन किया जाने वाला व्यवसायिक भार ई–वे बिल के अधीन होगा। किसी भी परिस्थिति में वाहन की छत पर भार का वहन नहीं किया जायेगा।

सदस्य
राज्य परिवहन प्राधिकार
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः— F9(253) PARI/STA/RTA/HQ/98-99/Part/01166/12942 - 950 जयपुर, दिनांकः— 13.06.2022

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित हैः—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य परिवहन मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, (परिवहन) राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव।
5. सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार।
6. समस्त अधिकारीगण (मुख्यालय)।
7. समस्त सचिव, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार ....।
8. सिस्टम एनालिस्ट को विभागीय वेबसाईट में अपडेट करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित है।
9. रक्षित पत्रावली।

सचिव
राज्य परिवहन प्राधिकार